

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटगण:-

बनाम

रेस्पोंडेन्टगण :-



धारूराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट, उर्म 78 वर्ष
निवासी लिलरिया, तहसील जैतारण जिला
पाली

राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण

किस्म मुकदमा : राजस्व विविध 08/2018

आर.सी.एम.एस. नम्बर :- 2018/00040

अन्तर्गत धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 15.02.2018 | <p>प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मूल अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार, जैतारण के प्रकरण संख्या 239/2017 बअनवान सरकार बनाम धारूराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निर्णय दिनांक 01.01.2018 के विरुद्ध पेश किया है।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सूनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। बाद सूनने बहस तहसीलदार जैतारण के उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.01.2018 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2018 तक स्थगित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार जैतारण का तहरीर जारी हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 22.02.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलेक्टर, पाली</p> | <p>252 15.2.18</p> <p>205 15.2.18</p> |
| 22.02.2018 | <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>इस स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील संख्या 14/2018 में निर्णय पारित किया जा चुका है। जिससे इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन पत्रावली मूल अपील पत्रावली के संलग्न की जावें।</p> <p>स्थगन पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलेक्टर, पाली</p> | |